हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
राजस्व आवेदन संख्या 49/2023 अनवान दीपाराम बनाम धर्माराम	

आदेश

04/04/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 496/141 रकबा 35.9603 हैक्टयर भूमि आई हुए है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02, प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में जबरन घुस कर तथा बिना भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये जबरन कब्जा एवं विवाद कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण उसमें सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करे कि वादग्रस्त भूमि मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 496/141 रकबा 35.9603 हैक्टयर भूमि में रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी आज बावजूद सूचना अनुपस्थित है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2023 को जारी की जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान करवाते है तो प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 49 / 2023 अनवान दीपाराम बनाम धर्माराम
	में हस्तगत प्रकरण को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना तक उभय पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षकारान के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा उगराराम डूडी नगर पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 496 / 141 रकबा 35.9603 हैक्टयर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर